नईदुनिया

संपादकीय

प्रदूषण पर सरकारें सो रही हैं और जनता मर रही है

भोपाल से दिल्ली तक हवा में जहर

आमदनी की भूख ने आम आदमी की सांस छीन ली है। भोपाल सहित देशभर के बड़े शहरों में प्रदूषण अब मौसम की समस्या नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए खतरा बन गया है। भोपाल की सुबह धुंध में नहीं, धुएं में हो रही है। दिल्ली की हवा में सांस लेना जहर पीने जैसा हो गया है। इंदौर, मुंबई और कोलकाता सहित अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक बना हुआ है, लेकिन सरकारों की सक्रियता नजर नहीं आती। केंद्र और राज्य सरकारें आंकड़े गिन रही हैं और जनता अस्पतालों में सांसों के लिए जूझ रही है। यह स्थिति गंभीर है और इससे निपटने के लिए कड़े, ठोस और दूरगामी निर्णय लेने होंगे, लेकिन फिलहाल बैठकों और योजनाओं से आगे बात नहीं बढ़ पा रही है।

डीजल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करने की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव दिखाई नहीं देता। डीजल की बसें आज भी शहरों के बीचोंबीच काला धुआं उगल रही हैं। ट्रक रातभर प्रदूषण बढ़ाते हैं। सरकार कहती है कि इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी, लेकिन सवाल है कि कब? पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था केवल फाइलों और प्रेस नोट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसका असर सड़कों पर दिखना चाहिए।

इसी तरह प्रदूषण मुक्त पटाखों की योजना भी हर साल दीपावली से पहले चर्चा में आती है और त्योहार के बाद भुला दी जाती है। सरकार ग्रीन पटाखों की बात करती है, लेकिन बाजारों में नियमों का उल्लंघन कर पटाखों की बिक्री की शिकायतें सामने आती हैं। यदि सरकार वास्तव में गंभीर है तो ग्रीन पटाखों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की कीमत पर आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सरकारों को आमदनी से आगे भी सोचना होगा। डीजल से टैक्स मिलता है, उद्योगों से राजस्व आता है और पटाखों के कारोबार से भी आर्थिक गतिविधियां चलती हैं, लेकिन प्रदूषण से होने वाले नुकसान की कीमत कौन चुकाता है? आम आदमी। अस्थमा, एलर्जी, हृदय और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा लगातार चिंता बढ़ा रहा है। प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन और उनके समाधान की जिम्मेदारी भी सरकारों की है।

भोपाल कभी झीलों और हरियाली के लिए पहचाना जाता था, लेकिन अब यहां भी धूल और धुएं की समस्या बढ़ रही है। कचरा जलाया जा रहा है, निर्माण कार्यों से धूल उड़ रही है और पेड़ों की कटाई जारी है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था जरूरी है, लेकिन केवल झाड़ू लगाने से वायु प्रदूषण खत्म नहीं होगा। इसके लिए कचरा प्रबंधन, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और हरित क्षेत्र का संरक्षण जरूरी है। कैसी स्मार्ट सिटी, जहां सुबह की सैर करने वाला व्यक्ति भी साफ हवा के लिए तरसे?

केंद्र और राज्य सरकारों को एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय मिलकर काम करना होगा। प्रदूषण की समस्या प्रशासनिक सीमाओं में बंधी नहीं है। उद्योगों के उत्सर्जन पर नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और पटाखों के नियमों का सख्ती से पालन प्राथमिकता बननी चाहिए। आमदनी से ज्यादा महत्वपूर्ण आम आदमी की सांस है। हवा ही नहीं बचेगी तो विकास और राजस्व का क्या अर्थ रह जाएगा? यह देश केवल टैक्स से नहीं, अपने नागरिकों की सांसों से चलता है। आज ठोस फैसले नहीं लिए गए तो भोपाल से दिल्ली तक शहरों में रहना और मुश्किल होता जाएगा।

आजकल

बहुमत की सरकार और सड़क की सरकार में फर्क समझो

संसदीय लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है और जनादेश ही सत्ता का संवैधानिक आधार होता है। विचारधारा के आधार पर जनता को अपने पक्ष में करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन जनादेश को नकारकर सड़क पर दबाव और अराजकता के जरिए व्यवस्था बदलने की कोशिश लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और यहां जनादेश से बड़ी कोई संवैधानिक ताकत नहीं है।

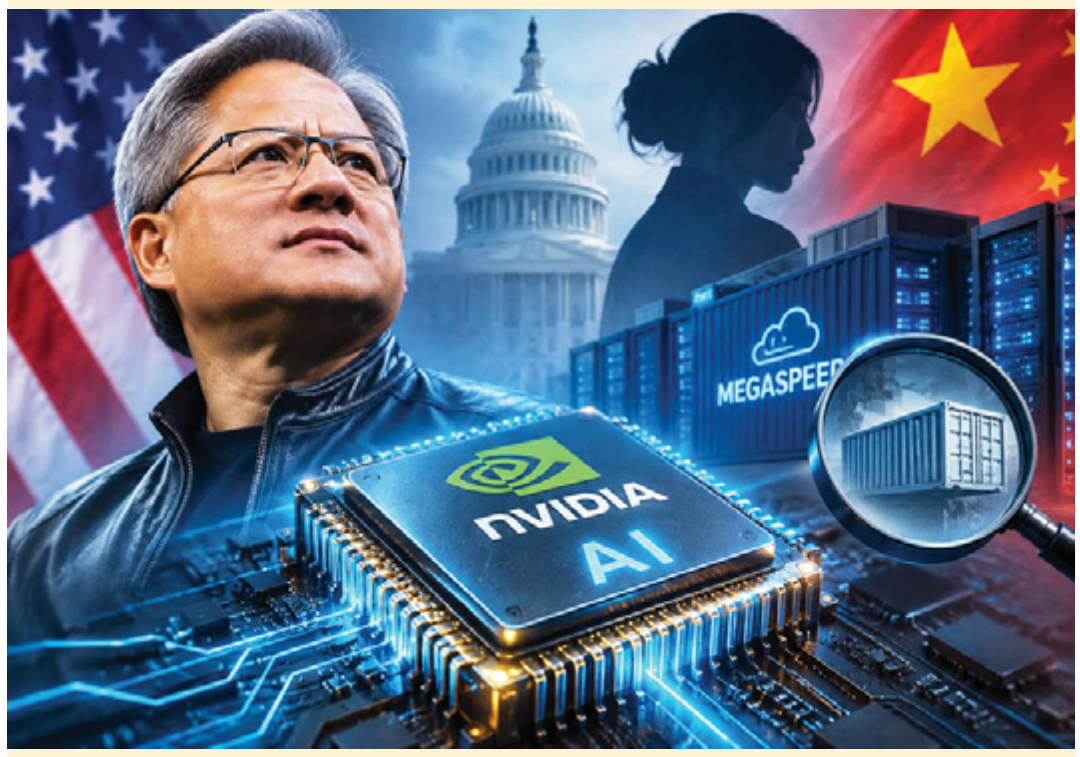
देश में जब से हिंदुत्ववादी राजनीतिक धारा को जनादेश मिला है, तब से चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं पर सवाल उठाने का सिलसिला भी तेज हुआ है। ईवीएम, चुनाव आयोग और मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना राजनीतिक अधिकार है, लेकिन हर चुनावी पराजय के बाद पूरी व्यवस्था को ही संदिग्ध बताना लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ाता है। विचारधाराओं का संघर्ष चुनाव और नीतियों के माध्यम से होना चाहिए, सड़कों पर टकराव के जरिए नहीं। वामपंथी उग्रवाद ने लंबे समय तक देश के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय जनसंसद और जनअदालत जैसी समानांतर व्यवस्थाओं की अवधारणा कानून के राज के लिए चुनौती रही है। राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संविधान और संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता अनिवार्य है।

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की राजनीति में जातीय समीकरण और अल्पसंख्यक मतों की भूमिका पर बहस होती रही है। चुनावी रणनीति बनाना हर दल का अधिकार है, लेकिन समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के आरोपों की कसौटी भी जनता ही है। यही बात भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों पर लागू होती है। लोकतंत्र में किसी विचारधारा से असहमति का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी विचारधारा को जनादेश से ऊपर नहीं रखा जा सकता। सरकार बहुमत से बनती है, लेकिन नागरिकों के अधिकार बराबर रहते हैं। चुनाव हारने पर जनता के फैसले का सम्मान करना और अगली बार बेहतर विकल्प लेकर उसके सामने जाना ही लोकतंत्र है। सड़क पर कब्जा लोकतंत्र नहीं, जनादेश का सम्मान ही संसदीय व्यवस्था की असली ताकत है।

एआई की चिपों में जासूसी का जाल, मेगास्पीड ने बढ़ाई एनवीडिया की मुश्किलें

अपूर्व तिवारी

जेनसन हुआंग के कथित निजी संबंधों से शुरू हुआ विवाद अब अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन की तकनीकी महत्वाकांक्षा और दुनिया के सबसे बड़े चिप कारोबार की विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है



कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में जिस कंपनी की चिपों पर भविष्य की तकनीकी इमारत खड़ी हो रही है, वही कंपनी अब अपनी कारोबारी पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग का मेगास्पीड इंटरनेशनल से जुड़ा विवाद सामान्य कारोबारी जांच से आगे निकल चुका है। इसमें चीन की कथित खुफिया गतिविधियों, अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के उल्लंघन की आशंका, हजारों एआई चिपों के हिसाब में अंतर और कंपनी के शीर्ष प्रबंधन की भूमिका जैसे गंभीर पहलू जुड़ गए हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान तकनीकी कंपनियों में शामिल एनवीडिया के लिए यह केवल प्रतिष्ठा का संकट नहीं, बल्कि उसके वैश्विक कारोबार की विश्वसनीयता की परीक्षा भी है।

विवाद के केंद्र में सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल है। वर्ष 2015 में सेवन रोड इंटरनेशनल के नाम से स्थापित इस कंपनी ने मार्च 2023 में अपना नाम बदलकर मेगास्पीड कर लिया। कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर के माध्यम से एआई की कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर उपलब्ध कराती है। यह एनवीडिया की जीबी200 एनवीएल72 और एचजीएक्स एच100 जैसी शक्तिशाली प्रणालियों की सुविधा देती है। इसका अर्थ है कि ग्राहक को स्वयं महंगी चिपें खरीदने और डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं होती। वह दूर बैठकर भी इन चिपों की क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है। यही सुविधा अमेरिकी प्रतिबंधों के संदर्भ में सबसे संवेदनशील बन गई है।

अमेरिका ने चीन को अत्याधुनिक एआई चिपों की सीधी आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसका उद्देश्य चीन की सैन्य और रणनीतिक तकनीकी क्षमता को अत्याधुनिक अमेरिकी कंप्यूटिंग संसाधनों से दूर रखना है। लेकिन यदि चिपें सिंगापुर या मलेशिया जैसे तीसरे देशों में स्थापित हों और वहां से चीन की कंपनियां कंप्यूटिंग सेवाएं हासिल कर लें तो प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। चिप का भौतिक स्वामित्व एक देश में और उसकी कंप्यूटिंग क्षमता का वास्तविक इस्तेमाल दूसरे देश में हो सकता है। यही वह तकनीकी रास्ता है, जिसने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है।

मेगास्पीड की वित्तीय गतिविधियां भी ध्यान खींचती हैं। उपलब्ध कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2023 में उसकी संपत्ति करीब 3.3 करोड़ डॉलर थी, जो 2024 में बढ़कर लगभग तीन अरब डॉलर पहुंच गई। इसी अवधि में उसका राजस्व शून्य से बढ़कर 29.4 करोड़ डॉलर हो गया, हालांकि कंपनी को करीब दो करोड़ डॉलर का कर-पश्चात घाटा हुआ। इतनी तेजी से बढ़ते कारोबार के पीछे पूंजी, उपकरणों की उपलब्धता और ग्राहकों की वास्तविक पहचान जैसे सवालों की जांच जरूरी हो जाती है।

विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नवंबर 2025 के व्यापारिक रिकॉर्ड से जुड़ा है। मलेशिया के आयात आंकड़ों के अनुसार, मेगास्पीड ने उस महीने एनवीडिया के कम से कम 17,544 जीबी300 प्रोसेसर आयात किए थे, जिनका मूल्य लगभग 78.7 करोड़ डॉलर बताया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एनवीडिया द्वारा अमेरिकी अधिकारियों को दी गई जानकारी और व्यापारिक रिकॉर्ड के बीच लगभग 50 हजार चिपों का अंतर होने का दावा किया गया। कंपनी ने बाद में अतिरिक्त गोदामों में उपकरणों की जांच करने की बात कही। यह भी सवाल उठा कि जिन आठ कंपनियों के डेटा सेंटरों में एनवीडिया ने मेगास्पीड के उपकरणों की मौजूदगी बताई, उनमें से दो संचालकों ने ऐसी मौजूदगी से इनकार किया। हालांकि मेगास्पीड ने अवैध हस्तांतरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विभिन्न पक्षों की जांच में किसी गैरकानूनी गतिविधि का प्रमाण नहीं मिला।

इस कारोबारी विवाद में एलिस हुआंग का नाम जुड़ने से मामला और संवेदनशील हो गया। वह मेगास्पीड में आठ महीने तक प्रबंध निदेशक रही थीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों में उन पर चीन की खुफिया एजेंसी के लिए सूचनाएं जुटाने का संदेह जताया गया। आरोप है कि जेनसन हुआंग से संपर्क के माध्यम से अमेरिकी एआई तकनीक और एनवीडिया की कारोबारी रणनीति से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश हो सकती थी। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। चीन ने इन्हें निराधार बताया है। सिंगापुर सरकार ने भी स्पष्ट किया कि उसने एलिस हुआंग के कथित खुफिया संबंधों की जांच नहीं की थी। इस मामले में व्यक्तिगत संपर्क और कंपनी के कारोबारी लेनदेन को अलग-अलग देखना जरूरी है।

अब सवाल केवल एलिस हुआंग का नहीं, एनवीडिया के शीर्ष प्रबंधन की भूमिका का भी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया के जनरल काउंसिल टिम टेटर ने 2025 में अमेरिकी वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जेफरी केसलर से संपर्क कर मेगास्पीड मामले और एलिस हुआंग से जुड़ी कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों की जांच प्रक्रिया में कुछ असामान्य प्रशासनिक प्रतिबंध लगाए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई। यह गंभीर प्रश्न है कि क्या किसी निजी कंपनी का प्रभाव सरकारी जांच की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। एनवीडिया ने सरकारी अधिकारियों से अपने संवाद को सामान्य कारोबारी और अनुपालन प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।

मामले का असर अब कंपनी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुका है। अमेरिकी संसद की तीन महत्वपूर्ण समितियों ने जेनसन हुआंग से 18 नवंबर को बंद कमरे में जानकारी देने का अनुरोध किया है। उनसे विदेशी खुफिया गतिविधियों से कंपनी की सुरक्षा और मेगास्पीड से जुड़े कारोबारी संपर्कों पर जवाब मांगा गया है। दूसरी ओर, एनवीडिया के स्वतंत्र निदेशकों की समिति ने हुआंग से जुड़े आरोपों की जांच शुरू की है। शेयरधारकों ने भी मुकदमा दायर कर आरोप लगाया है कि कंपनी ने निवेशकों को संभावित जोखिमों की पर्याप्त जानकारी नहीं दी। इस तरह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से निकलकर कंपनी के प्रशासन और निवेशकों के हितों तक पहुंच गया है।

यहां यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि मेगास्पीड ने आरोपों को अस्वीकार किया है और एनवीडिया का कहना है कि उसकी आंतरिक जांच में चिपों के अवैध हस्तांतरण का प्रमाण नहीं मिला। इसलिए आरोपों को अपराध का अंतिम प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतने गंभीर सवाल उठने के बाद स्वतंत्र जांच और उसके निष्कर्षों को सार्वजनिक करना आवश्यक है।

भारत के लिए भी इस घटनाक्रम में बड़ा संदेश है। देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन, सेमीकंडक्टर निर्माण और डेटा सेंटर के विस्तार में निवेश कर रहा है। लेकिन तकनीकी आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल चिपों का निर्माण या खरीद नहीं है। आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा, आंकड़ों का नियंत्रण और तकनीक के अंतिम उपयोग की निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

एआई की दुनिया में अब प्रतिस्पर्धा केवल सबसे तेज चिप बनाने की नहीं रही। यह भी तय होगा कि कौन अपनी तकनीक के इस्तेमाल पर सबसे विश्वसनीय नियंत्रण रख सकता है। जेनसन हुआंग और मेगास्पीड का विवाद इसी बदलती दुनिया का संकेत है। तकनीकी शक्ति के साथ जवाबदेही नहीं होगी तो नवाचार पर भरोसा कमजोर पड़ेगा। भविष्य की अर्थव्यवस्था केवल सिलिकॉन से नहीं बनेगी, उसकी नींव पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वास पर भी टिकी होगी।

अब कार खुद नहीं पार्क होगी, रोबोट करेगा

मप्र एकीकृत भूमि विकास और भवन संवर्धन नियम, 2026 का ड्राफ्ट तैयार



भोपाल सहित प्रदेश के शहरों में जमीन की कमी और बढ़ते वाहनों से जाम की समस्या को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार मल्टीलेवल कार पार्किंग, हाइड्रोलिक और रोबोटिक सिस्टम वाली स्टैक पार्किंग एवं पजल पार्किंग को बढ़ावा देगी। इन पार्किंग व्यवस्थाओं को मुख्य निर्माण क्षेत्र (एफएआर) की गणना से बाहर रखा गया है, ताकि बिल्डर पर्याप्त पार्किंग बनाएं। ये प्रावधान मप्र एकीकृत भूमि विकास एवं भवन संवर्धन नियम, 2026 के ड्राफ्ट में किए गए हैं। मप्र टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) विभाग के मुताबिक, ड्राफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पर बिना दीवारों के खंभों पर बनने वाली स्टिल्ट फ्लोर पार्किंग की ऊंचाई कम से कम 2.4 मीटर तय की गई है। इस तरह होती है कारों की पजल पार्किंग। (सौजन्य: इंटरनेट मीडिया)

बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी तभी मिलेगी, जब उसके सामने की सड़क पर्याप्त चौड़ी हो और परिसर में तय मानदंडों के अनुसार पार्किंग की जगह उपलब्ध हो। वहीं, बेसमेंट में धुएं और गैस के खतरे को देखते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और पार्किंग जोन में तापमान बढ़ने का पता लगाने वाले हीट सेंसर भी लगाए जाएंगे। पोडियम पार्किंग में गाड़ियां जमीन से थोड़ा ऊपर बने चबूतरे या प्लेटफॉर्म पर खड़ी की जाती हैं। वहां तक पहुंचने के लिए रैंप या ऑटोमेटेड मैकेनिकल सिस्टम बनाया जाता है।

जमीन खत्म हो गई, अब हवा में पार्किंग खोजनी होगी। पहले घर छोटा था, आंगन बड़ा था। गाड़ी आंगन में खड़ी हो जाती थी। अब आंगन खत्म हो गया, फ्लैट आ गया और गाड़ी सड़क पर आ गई। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में शाम को हर सड़क पार्किंग बन जाती है। मध्यप्रदेश सरकार ने रोबोटिक और हाइड्रोलिक पार्किंग को एफएआर से बाहर रखने का जो फैसला किया है, वह बहुत समझदारी भरा है। इसका मतलब है कि बिल्डर को लगेगा कि पार्किंग बनाने पर उसे नुकसान नहीं, फायदा है। वह ज्यादा पार्किंग बनाएगा, तो उसे ज्यादा मंजूरी मिलेगी। यह लालच नहीं, बल्कि समझदारी है कि शहर को सांस लेने की जगह मिले।

रोबोटिक पार्किंग क्या है और क्यों जरूरी है? रोबोटिक पार्किंग में आप गाड़ी एक लिफ्ट पर छोड़ देते हैं। फिर रोबोट खुद उसे उठाकर खाली जगह पर रख देता है। आपको गाड़ी मोड़ने या जगह तलाशने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिक पार्किंग में एक के ऊपर एक गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, जैसे पजल गेम में होती हैं। एक बटन दबाइए और आपकी गाड़ी नीचे आ जाती है। यह सिस्टम उन शहरों के लिए वरदान है, जहां जमीन महंगी है और जगह कम है। एक ही प्लॉट पर दस गाड़ियों की जगह सौ गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं।

स्टिल्ट फ्लोर का खेल समझना जरूरी है। नए नियम में कहा गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर बिना दीवारों वाली स्टिल्ट फ्लोर पार्किंग की ऊंचाई कम से कम 2.4 मीटर तय की गई है। पहले बिल्डर कम ऊंचाई दिखाकर पार्किंग को स्टोर बना देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। स्टिल्ट फ्लोर में हवा और रोशनी रहेगी, धुआं नहीं रुकेगा और आदमी सीधा खड़ा होकर गाड़ी निकाल सकेगा। यह छोटा सा नियम दिखता है, पर इससे बड़ी दुर्घटनाएं रुक सकती हैं।

सुरक्षा सेंसर क्यों लगाए जा रहे हैं? बेसमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर अनिवार्य करना बहुत बड़ी बात है। अक्सर देखा गया है कि बंद बेसमेंट में गाड़ियों के धुएं से दम घुटता है और आदमी बेहोश हो जाता है। अब सेंसर रहेगा, तो धुआं बढ़ते ही पंखा चालू हो जाएगा और अलार्म बजेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग वाली जगह पर तापमान सेंसर लगेगा, क्योंकि बैटरी में आग लगने का खतरा रहता है। यह नियम बताता है कि सरकार अब केवल बिल्डिंग नहीं, बल्कि बिल्डिंग में रहने वाले इंसान की सांस के बारे में भी सोच रही है।

पोडियम पार्किंग का नया चलन। पोडियम पार्किंग का मतलब है कि जमीन से थोड़ा ऊपर एक चबूतरा बना दो और उस पर गाड़ियां खड़ी कर दो। नीचे दुकान या गार्डन और ऊपर गाड़ियां। इससे दो फायदे हैं। एक तो बाढ़ के समय गाड़ियां डूबने से बच सकती हैं, दूसरा नीचे की जमीन लोगों के चलने-फिरने के लिए बच जाती है। बड़े शहरों में यह मॉडल अपनाया जा रहा है। भोपाल में भी नए मॉल और हाउसिंग सोसाइटी में यही मॉडल आ रहा है। गाड़ी ऊपर, इंसान नीचे।

एफएआर से बाहर रखने का अर्थशास्त्र समझना भी जरूरी है। एफएआर का मतलब है कि कितनी जमीन पर कितना निर्माण कर सकते हैं। पहले बिल्डर सोचता था कि अगर पार्किंग बनाई, तो उसका एफएआर खत्म हो जाएगा। इसलिए वह पार्किंग कम बनाता था और फ्लैट ज्यादा। अब सरकार ने कहा है कि पार्किंग को एफएआर में नहीं गिनेंगे, तो बिल्डर को फायदा होगा। वह ज्यादा पार्किंग बनाएगा। इससे शहर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों की भीड़ कम होगी। यह एक तरह का इनाम है कि अच्छा काम करो, तो ज्यादा निर्माण की छूट लो।

बड़े प्रोजेक्ट को तभी मंजूरी मिलेगी, जब सामने की सड़क पर्याप्त चौड़ी हो। नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी तभी मिलेगी, जब उसके सामने की सड़क पर्याप्त चौड़ी होगी। यह बहुत जरूरी नियम है। अक्सर होता है कि पतली गली में बीस मंजिला इमारत बन जाती है, फिर वहां जाम लगता है और एंबुलेंस भी नहीं घुस पाती। अब सड़क की चौड़ाई देखकर ही ऊंची इमारत को मंजूरी मिलेगी, तो शहर का ट्रैफिक सुधरेगा। यह नियम भोपाल और इंदौर जैसे तेजी से बढ़ते शहरों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है।

शहरों में जाम केवल ट्रैफिक की समस्या नहीं, सोच की भी समस्या है। हम सोचते हैं कि जाम गाड़ियों से लगता है, पर असल में जाम हमारी सोच से भी लगता है। हमने घर तो बना लिए, पर गाड़ी कहां खड़ी होगी, यह सोचा ही नहीं। सरकार अब सोच बदल रही है। वह कह रही है कि हर नई बिल्डिंग में पार्किंग पहले सोचो, फ्लैट बाद में। यह सोच अगर 2026 के नियमों में लागू हो गई, तो आने वाले दस साल में शहरों का चेहरा बदल सकता है। सड़क पर गाड़ियां कम होंगी और फुटपाथ पर जगह ज्यादा होगी।

पहला, रोबोटिक पार्किंग महंगी है, इसलिए सरकार को छोटे बिल्डरों को सब्सिडी देनी चाहिए। दूसरा, हर नई सोसाइटी में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा, पार्किंग की दरें तय होनी चाहिए, ताकि बिल्डर पार्किंग बेचकर अलग से कमाई न करे। चौथा, आम लोगों को भी समझना होगा कि सड़क पर गाड़ी खड़ी करना शान नहीं, बल्कि शहर पर बोझ है। अगर लोग थोड़ा पैदल चलें और साइकिल चलाएं, तो पार्किंग की जरूरत ही कम हो जाएगी।

रोबोट गाड़ी पार्क करेगा, तो इंसान शहर में चल सकेगा। मप्र एकीकृत भूमि विकास और भवन संवर्धन नियम, 2026 का ड्राफ्ट केवल नियमों की किताब नहीं है, यह शहरों को बचाने की कोशिश है। रोबोटिक, हाइड्रोलिक, स्टैक, पजल और पोडियम पार्किंग जैसे शब्द अब किताब से निकलकर जमीन पर आएंगे। जब गाड़ी रोबोट पार्क करेगा, तो सड़क खाली होगी, फुटपाथ पर बच्चे खेल सकेंगे, हवा में धुआं कम होगा और शहर थोड़ा और रहने लायक बनेगा। यही असली विकास है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

बारूद पर भारी पड़ी रोटी की पुकार

युद्ध और महंगाई ने हिलाई सत्ता की चूलें

विश्व राजनीति अब साम्राज्य से समाधान की ओर बढ़ रही है। इजरायल और अमेरिका के चुनावों ने पूरी दुनिया को एक नया संदेश दिया है। वह संदेश है कि युद्ध और दादागिरी से पेट नहीं भरता। अशांति और महंगाई से जनता ऊब चुकी है और अब वह जनहित की राजनीति चाहती है। इजरायल में नेतन्याहू की कुर्सी जाना और अमेरिका में ट्रंप की हार सिर्फ दो नेताओं की हार नहीं है, यह दो विचारधाराओं की हार है। एक विचारधारा जो कहती है कि ताकत से दुनिया चलती है और दूसरी जो कहती है कि नफरत से वोट मिलता है। जनता ने दोनों को नकार दिया है और यह विश्व राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है।

इजरायल को देखिए। सालों से युद्ध, युद्ध और सिर्फ युद्ध। गाजा में बमबारी, लेबनान में तनाव, ईरान से टकराव और अंदर महंगाई तथा असुरक्षा। जनता पूछ रही है कि युद्ध से हमें क्या मिला? हमारे बच्चे सुरक्षित हैं क्या? हमारे बाजार में सामान सस्ता है क्या? हमारे घर में शांति है क्या? जवाब नहीं में था। इसीलिए इजरायल की जनता ने अपना मत देकर बता दिया कि हमें नेतन्याहू की युद्ध नीति नहीं चाहिए। हमें शांति चाहिए, हमें घर में रोटी और बाहर इज्जत चाहिए। नेतन्याहू की कुर्सी जाना इस बात का सबूत है कि जनता अब जनरलों की नहीं, जनहित की सुनना चाहती है।

अमेरिका का हाल भी ऐसा ही है। ट्रंप ने चार साल में दुनिया को दिखा दिया कि दादागिरी क्या होती है। कभी चीन से लड़ाई, कभी यूरोप से झगड़ा, कभी अपने ही पड़ोसी देशों पर टैरिफ, कभी युद्ध को उकसाना और अंदर महंगाई, बेरोजगारी तथा नफरत का माहौल। अमेरिका की जनता, जो खुद को दुनिया की सबसे जागरूक जनता मानती है, उसने कहा कि बहुत हुआ। हमें साम्राज्यवादी नीति नहीं चाहिए, हमें अपने घर में सुकून चाहिए। ट्रंप की हार इस बात की हार है कि अमेरिका दुनिया का ठेकेदार नहीं है। अमेरिका को पहले अपने लोगों का ठेकेदार बनना होगा।

दोनों चुनावों में एक बात समान है, वह है महंगाई के खिलाफ गुस्सा। युद्ध जब होता है तो हथियार कंपनियों को फायदा होता है, नेताओं को तस्वीरें खिंचवाने का मौका मिलता है, लेकिन आम आदमी की जेब खाली होती है। तेल महंगा, गैस महंगी, आटा महंगा और नौकरी गायब। इजरायल में भी यही हुआ, अमेरिका में भी यही हुआ। जनता ने कहा कि तुम यूक्रेन की चिंता करो या गाजा की, लेकिन हमारी रसोई की चिंता कौन करेगा? इसी सवाल ने बड़े-बड़े दिग्गजों की कुर्सी हिला दी। यह जनादेश अर्थशास्त्र का जनादेश है। भावनाओं से पेट नहीं भरता, यह बात अब हर देश की जनता समझ गई है।

विश्व भर में अशांति का एक बड़ा कारण साम्राज्यवादी सोच है कि मैं बड़ा हूं, मैं तय करूंगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अमेरिका ने दशकों तक यही किया, इजरायल ने अपने क्षेत्र में यही किया, लेकिन अब जनता ने कहा कि बस करो। हमें तुम्हारी बड़ी सोच नहीं चाहिए, हमें छोटी-छोटी खुशियां चाहिए। हमें स्कूल में अच्छी पढ़ाई चाहिए, अस्पताल में सस्ती दवा चाहिए, बाजार में सस्ती सब्जी चाहिए और सीमा पर शांति चाहिए। यह मांग बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी है, क्योंकि बड़े नेता इसे भूल गए थे।

नेतन्याहू की कुर्सी जाना और ट्रंप की हार विश्व राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह संकेत है कि अब दक्षिणपंथी उग्र राष्ट्रवाद का दौर ढल रहा है। अब जनता को धर्म और युद्ध के नाम पर ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब सोशल मीडिया का जमाना है। हर बम की तस्वीर, हर महंगाई की सूची जनता के फोन में है। वह देख रही है कि युद्ध में किसका बेटा मर रहा है और किसका शेयर बढ़ रहा है। इस जागरूकता ने ही बड़े-बड़े साम्राज्यवादी नेताओं को जमीन पर ला दिया है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह सबक है कि जनता को ज्यादा दिन तक भावनाओं में नहीं बहाया जा सकता। आखिर में जनता पूछती है कि मेरे घर में क्या आया? मेरे बच्चे को नौकरी मिली क्या? मेरे खेत को पानी मिला क्या? मेरे इलाज का खर्च कम हुआ क्या? अगर जवाब नहीं है तो जनता जनादेश बदल देती है। इजरायल और अमेरिका ने यही किया है। उन्होंने हिंसा को नकारा है और जनहित को स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि हमें नेता नहीं, सेवक चाहिए। हमें शासक नहीं, साथी चाहिए। दुनिया अब बारूद की गंध से नहीं, रोटी की महक से चलना चाहती है। दुनिया अब मिसाइल की आवाज से नहीं, बच्चों की हंसी से जागना चाहती है। इजरायल और अमेरिका के मतदाताओं ने यह बता दिया है कि साम्राज्य का समय खत्म हो रहा है और समाज का समय शुरू हो रहा है। जो नेता इसे समझेगा, वह टिकेगा। जो नहीं समझेगा, उसकी कुर्सी चाहे कितनी भी मजबूत हो, जनता उसे उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि अंत में जीत युद्ध की नहीं, शांति की होती है और जीत दादागिरी की नहीं, जनहित की होती है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)